उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 91/2015/2524/30-3-2015-12जीई/2011

लखनऊ, दिनॉक 02 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 05-11-2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2190/दस-62(एम)/2008 टी0सी0-1, दिनॉक 03-03-2015 के अनुसार दिनॉक 01-01-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 16 व 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। यह व्यवस्था दिनॉक 01-12-2008 से प्रभावी की गयी है।

2- उपरोक्त व्यवस्था एवं नियमों के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनॉक 15-10-2015 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार श्री श्रीकृष्ण सिंह, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 03-03-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि 27-05-1983 से 26 वर्ष की सेवा दिनॉक 26-05-2009 को पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- में ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ अनुमन्य किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-91/2015/2524(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- **महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2- **परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
3- **कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4- **सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।**
5- **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2**
6- **वैभागिक आदेश पुस्तिका।**

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in